ई–मेल / शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–2001 / आठ–2–2018–05मा0का0यो0 / 2018

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 25 सितम्बर, 2018

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत अधूरे आवासों को पूर्ण कराकर पात्र लाभार्थियों को आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश संख्या–4328 / 9–5–08–153सा0 / 08 दिनांक 02, जून, 2008, द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आरम्भ की गयी थी। योजना की विस्तृत गाइड लाइन्स शासनादेश संख्या–5376 / 9–5–08–153सा / 08 दिनांक 24 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या–7931 / 9–5–09–247सा0 / 08 टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 शासनादेश संख्या–972 / आठ–2–11–247सा / 08टी.सी. दिनांक 9–4–2011, शासनादेश संख्या–1139 / आठ–2–11–3एच0बी0(25) / 11 दिनांक 16–4–2011 तथा शासनादेश संख्या–428 / आठ–2–2017–247सा0 / टी0सी0–1 दिनांक 10–4–2017 द्वारा निर्गत की गयी थी। किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार जनपदों में काफी संख्या में अधूरे / अर्धनिर्मित आवास हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1088 / आठ–2–2012–247सा0 / 08टी0सी0–1 दिनांक 28, मई, 2012 के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तृतीय चरण के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि वर्तमान में कतिपय जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी काफी संख्या में योजनान्तर्गत आवास अधूरे / अर्धनिर्मित अवस्था में हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही है।

3– अतएव प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण में प्लिंथ लेबिल से ऊपर के अधूरे पडे भवनों के निर्माण का कार्य प्राधिकरण बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर, अवस्थापना निधि / शेल्टर फीस के मद में उपलब्ध धनराशि से पूर्ण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत पूर्ण भवनों का जिलाधिकारी की अध्यक्षता में

गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पात्र लाभार्थियों को एक माह के अन्दर आवास आवंटित कराकर शासन/निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ को फैक्स/ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-2001(1)/आठ-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- स्टाफ आफिसर/विशेष सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव**, लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण /नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण /खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना विभाग,उ0प्र0शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

8- **निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ** को उक्त पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे सभी सम्बन्धित को फैक्स/ई-मेल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें तथा जनपदों से प्राप्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।